THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) Yes, Sir. The cut in the Defence Budget on account of drought is Rs. 250 crores.

(b) and (c) The expenditure consists of large number of items and correct and final figures are not readily available.

The cost will be borne in accordance with the understanding between the two Governments.

Anti-Chinese riots in Lhasa

2798. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to anti-Chinese riots in Lhasa in Tibet in the first week of October, 1987;

(b) whether the Chinese have blamed H.H the Dalai Lama for inciting these riots; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Government have seen reports to this effect.

(c) Government recognise Tibet as an autonomous region of China.

विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा राजभाषा का प्रयोग

2799 **श्री लालदम्बी प्रसाद गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान और राजभाषा अधिनियम विदेशों में हमारे दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर भी लागू होता है ; यदि हां, तो इन्हें कार्यान्वित करने की [illegible]

(ख) क्या उपर्युक्त सभी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में देवनागरी लिपि के टंकण यंत्र, टंकक तथा आशुलिपिक हैं ; और यदि नहीं थे तो कहां-कहां पर नहीं है, और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ,

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यालयों के देवनागरी के टेलेक्स टेलीप्रिन्टर और शब्द संसाधक (वर्डप्रोसैसर) आदि जैसे आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या यह सच है कि वहां राजभाषा के प्रयोग का निरीक्षण न किए जाने के कारण राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का भी पालन नहीं होता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां । इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय पर है ।

(ख) नीचे दिए गए मिशनों को छोड़कर सभी भारतीय मिशनों को देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध करा दिए गए हैं —

1. भारत का प्रधान कांसलावास, बसरा ।
2. भारत का प्रधान कोंसलावास, शिराज ।
3. भारत का प्रधान कोंसलावास, जद्दिन ।
4. भारत का हाई कमीशन, हरारे ।

भारत के विदेश स्थित मिशनों में से 51 मिशनों में लिपिकों के भारत-आस्थानी पद है जिनमें से 25 में हिंदी टंकक हैं । उन भारतीय मिशनों के नाम जिनमें ऐसे टंकक नहीं है संलग्न विवरण-I में दिए गए है । (नीचे देखिये) उन मिशनों की सूची जिनमें हिंदी आशुलिपिक नहीं है संलग्न विवरण-II में दी गई है । (नीचे देखिये)

हिन्दी टंककों और आशुलिपिकों की तैनाती पर विचार मिशन की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है । अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसे कार्मिकों को तैनात करने के प्रयास किए जाते है ।

(ग) जी नही । मिशनों को ये उपकरण उपलब्ध नही कराए गए है क्योंकि अभी तक इनकी आवश्यकता महसूस नही की गई है ।

(घ) जी नही ।

विवरण–I

विदेशों में स्थित उन भारतीय मिशनों की सूची जिनमें हिन्दी टंकक तैनात नहीं किए गए है

1. अदन
2. बगदाद
3. कापनहागन
4. दमिश्क
5. दोहा
6. दहंग
7. जलालाबाद
8. काबुल
9. कराची
10. काठमांडु
11. मनीला
12. मोम्बासा
13. मस्कट
14. ओटावा
15. नोमपेन्ह
16. राजशाही
17. रियाद
18. साना
19. सानफ्रांसिस्को
20. सिंगापुर
21. तेहरान
22. थिम्पू
23 त्रिपोली
24. वाशिंगटन
25 विंडहोक

विवरण–II

विदेशों में स्थित उन भारतीय मिशनों की सूची जिनमें हिन्दी आशुलिपिक तैनात नहीं नहीं किए गए हैं

1. आबिद्जान
2. आबूधाबी
3. अदीस अबाबा
4. अदन
5. अल्जियर्स
6. अमन
7. अंकारा
8. एन्तेनेनेरिवो
9. एथन्स
10. बगदाद
11. बहरीन
12. बीजिग
13 बैरूत
14. बेल्ग्रेड
15. बर्लिन (ज०ज०ग०)
16. बर्न
17. बगोटा
18. ब्रासीलिया
19. ब्रसल्स
20. बुखारेस्ट
21. बुडापेस्ट
22. ब्अक्रन्स आइरेस
23. काहिरा
24. काराकस
25. कोनाक्री
26. कापनहागन
27 डकर
28. दमिश्क
29. दोहा
30. डब्लिन
31. द हेग
32. हनोई
33. हवाना

34. हेलसिंकी
35. इस्लामाबाद
36. जकार्ता
37. काबुल
38. खारतूम
39. किंशासा
40 कुवैत
41 लीमा
42 लिस्बन
43. लुआंडा
44. मैट्रिड
45 मनीला
46. मापूतो
47. मोगाडिशू
48. मास्को
49. मस्कत
50 ओस्लो
51. पनामा
52. पेरिस
53. नोम पेन्ह
54. प्राग
55. प्योंग यांग
56. रबात
57. रंगून
58. रियाद
59. रोम
60. साना
61. सांतियागो
62. सियोल
63. सोफिया
64. स्टॉकहोम
65. तेहरान
66. थिम्पू
67. टोकियो
68. ट्यूनिस
69. वियना
70. व्यनत्यन
71. वारसा
72. अक्रा
73. कैनबरा
74. कोलम्बो
75. दारेस्सलम
76. गैबोरोन
77 जार्जटाऊन
78. सिंगापुर
79. हरारे
80. कम्पाला
81. किंगस्टन
82. कुआलालम्पुर
83. लागोस
84. लिलोंग्वे
85. लन्दन
86. विलिंग्टन
87. माहे
88. मोले
89. नैरोबी
90 निकोसिया
91 ओटावा
92. पोर्ट आफ स्पेन
93. बर्मिंघम
94. चटगाव
95. कैंडी
96. राजशाही
97. बसरा
98. शिकागो
99. दुबई
100. फ्रैंकफर्ट
101. जेनेवा
102. हेम्बर्ग
103. जेद्दा
104. कोबे
105. मेडान
106. मिलन
107. न्यूयार्क
108. ओडेसा
109. पोर्ट सैद

110. रियूनियन द्वीप
111. सान फ्रांसिस्को
112. सिडनी
113. चियागमाई
114. जलालाबाद
115 कंधार
116. शिराज
117. जाहिदान
118. हांगकांग
119. मोम्बासा
120. न्यूयार्क
121 जेनेवा
122. पेरिस
123. ताशकंद
124. टोरेंटो
125. वेंकुवर
126 पश्चिम बर्लिन
127 जंजीबार

भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयां

2800. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय क्षेत्रों में भर्ती पर प्रतिबंध होने की वजह से 50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी पाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पडती है और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके लिए क्या विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान आर०पी० एफ में कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) यह सही है कि बहुत बड़े प्रतिशत में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इसका कारण केवल यही नहीं है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा खर्च में कमी करने के उपाय के रूप में भर्ती पर रोक लगाई हुई है । विशेष परिस्थितियों मे इसमें छूट भी दी जाती है । कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न राज्यों मे आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग होना (इसकी सीमा समूह "ग" में 2% से 17% और समूह "घ" में 2% से 20% तक है) या आरक्षण की कोई व्यवस्था न होना (बिहार और केरल राज्यों में) ।

(ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत वर्ष में आरक्षित किए गए रिक्त स्थानों की कुल संख्या वर्ष मे रक्षा सेनाओं से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की संख्या से औसतन कम होना ।

(iii) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का पूरी तरह से उपयोग न हो पाना ।

(iv) सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की कुशलता और उनकी पसंद की जगह का उपलब्ध रोजगार के लिए अपेक्षित कुशलता और जगह के अनुरूप न होना ।

(ख) स्थिति मे सुधार लाने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों मे आरक्षित पदों का पूर्ण उपयोग करना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना दोनों शामिल है । आरक्षित पदों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :—